





भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA  
(www.surveyofindia.gov.in)



दूरभाष/Telephone 0135 2977976  
0135 2977975  
01352977980  
फैक्स/Fax 01352977970  
ईमेल/E-mail: zone.spl.soi@gov.in



अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र का कार्यालय  
OFFICE OF ADDITIONAL SURVEYOR  
GENERAL, SPECIALIZED ZONE  
ब्लॉक 6, हाथीबड़कला एस्टेट, पत्र पेटी सं. 200  
Block 6, Hathibarkala Estate, Post Box No. 200  
देहरादून-248001, (उत्तराखण्ड)  
Dehra dun-248001, (Uttarakhand)

विशिष्ट क्षेत्र कार्यालय का नेमी आदेश सं० 17/37-G-11, दिनांक 10.11.2021  
SPECIALIZED ZONE ROUTINE ORDER NO.17/37-G-11, DATED 10.11.2021

1. एम.टी.एस. के पद पर नियुक्ति।

निम्नलिखित कर्मचारी जिनका विवरण उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को एम०टी०एस० कैटेगरी-V (अस्थायी ग्रुप-सी स्थापना) के पद पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से 28.02.2022 तक या ऐसे समय के लिये जब तक उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो, वेतन लेवल-1 में रू० 18000 प्रतिमाह + केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय अन्य भत्तों के अनुसार एतद्वारा नियमित आधार पर नियुक्त किया गया:-

क्रं. सं.	नाम	वर्ग/कैटेगरी	शैक्षणिक योग्यता	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	टिप्पणी
1.	कु0 मोनिका कुमारी	सामान्य	दसवी	14-01-1995	26-08-2021	

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं.स्था.3-240/1011-एमटीएस दिनांक 16-07-2021

- इनका स्वास्थ्य परीक्षण सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा करा लिया गया है एवं उन्हें सरकारी सेवा के योग्य घोषित किया गया है।
- कु0 मोनिका कुमारी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन जिलाधिकारी, बेगुसराय (बिहार) द्वारा किया गया तथा सही पाया गया।

3. इस मद पर होने वाला व्यय विशिष्ट क्षेत्र कार्यालय के वर्ष 2021-22 के आवंटित बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

Naveen Tomar

9/11/2024 (नवीन तोमर)

अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र एवं  
भारत के महासर्वेक्षक

- प्रतिलिपि:-
1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून। (ईमेल द्वारा)
  2. वेबसाइट मैनेजमेंट सिस्टम, महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु। (ईमेल द्वारा)
  3. केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून। (ईमेल द्वारा)
  4. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सभी कार्यालयों को सूचनार्थ। (ईमेल द्वारा)
  5. निदेशक, भू-स्थानिक आंकडा केन्द्र को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।